फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	[illegible] प्रतिवादिगण की तामीली की [illegible] 2-9-19 को पेश है।	
2-9-19	पक्षकारों पेश हुए वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तामीली की आज दिं 19.11.19 को पेश हो।	
5/11	आज का बीच उपचार पेश होने पर पक्षकारों सिर्फ से तलब की गई। वकील प्रार्थी तथा वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र TI (आर्डर निषेधाज्ञा) आगे लंबी बहस और पेश किया। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र (TI) आर्डर निषेधाज्ञा पोस्टपोन करने के कारण प्रतिवादी पक्ष प्रार्थना पत्र आर्डर निषेधाज्ञा (TI) पर 13-11-19 तारीख की गई है। पक्षकारों को आदेश प्रसारित होने पर पक्षकारों को लिखित रूप से जवाब तामील के उपरांत [illegible] 5/11/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	Not Fees [illegible]